न्यायालय राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0 66 / 2021

तारीख फैसला
12.11.2022

उनवान

1– आनन्द सिंह आत्मज गोरधन सिंह जी जाति राजपूत निवासी कोटडादीप सिंह तहसील दीगोद जिला कोटा

(वादी)

बनाम

1– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादी)

वादी की ओर से – श्री बलराम शर्मा एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से– तहसीलदार दीगोद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट बाबत घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती

निर्णय

वादी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम कोटडादीप सिंह तहसील दीगोद में वादी के कब्जे काश्त व खाते की भूमि खसरा नं0 1642 की 0.52 हेक्टर भूमि स्थित चली आ रही है। जिसमे वादी का नाम आनन्दकुमार उर्फ सच्चिदानन्द दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबन्दी संलग्न है।

यह कि उपरोक्त राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम आनन्द कुमार दर्ज किया हुआ है जब कि वादी का नाम आनन्द सिंह है। वादी के वोटर आईडी, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पास बुक, आदि में वादी का नाम आनन्द सिंह अंकित है। किन्तु राजस्व रिकार्ड में आनन्द कुमार गलत रूप से अंकित हो गया है।

यह कि उपरोक्त कारण से राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम आनन्द कुमार के स्थान पर आनन्द सिंह दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में वादी ने प्रतिवादी से नाम दुरूस्त करने हेतु निवेदन किया ओर मना कर दिया जिस कारण यह वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

अतः वाद प्रस्तुत कर वादी का निवेदन है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्व निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे किः–

अतः वादी ने निवेदन किया है कि ग्राम कोटडादीप सिंह तहसील दीगोद में वादी के कब्जे काश्त व खाते की भूमि खसरा नं0 1642 की 0.52 हेक्टर भूमि में वादी का नाम आनन्द कुमार के स्थान पर आनन्द सिंह दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किये जाने की प्रतिवादी के विरूद्व आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)

अध्यक्ष
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद, कोटा (राज.)

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई प्रतिवादी तहसीलदार की ओर से जवाब सरकार प्ररतुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार दीगोद जर्ये नायब तहसीलदार सुल्तानपुर ने अपने जवाब में आनन्द कुमार व आनन्द सिंह एक ही व्यक्ति होना प्रकट किया है। वादी द्वारा साक्ष्य में स्वंय का शपथ पत्र एवं अन्य परिचित का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जो शामिल फाईल है।

वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण में जवाब सरकार एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम कोटडादीप सिंह तहसील दीगोद में वादी के कब्जे काश्त व खाते की भूमि के खसरा नं0 1642 की 0.52 हेक्टर भूमि में वादी का नाम आनन्द कुमार के स्थान पर आनन्द सिंह दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने पर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफत्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.11.2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद में सुनाया गया।

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)

अध्यक्ष
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद, कोटा (राज.)